खरीदार ऋण तथा ऋण व्यवस्था के लिए बीमा सुरक्षा

- **>> खरीदार ऋण व ऋण व्यवस्था क्या है ?**
- **>> खरीदार ऋण एवं ऋण व्यवस्था के अंतर्गत ईसीजीसी द्वारा किस प्रकार की रक्षा प्रदान की जा सकती है तथा संबद्ध शर्तें क्या हैं ?**
- **>> लागू प्रीमियम दर क्या हैं ?**
- **>> खरीदार ऋण व ऋण व्यवस्था के लिए रक्षा हेतु प्रीमियम कब अदा किया जाता है ?**

खरीदार ऋण तथा ऋण व्यवस्था के लिए बीमा सुरक्षा

>> खरीदार ऋण व ऋण व्यवस्था क्या है ?

खरीदार ऋण वह ऋण है जो भारत स्थित बैंक द्वारा विदेशी खरीदार को किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है ताकि खरीदार किसी विशेष परियोजना के लिए भारत से सयंत्रों तथा उपकरणों का आयात कर उसके लिए अदायगी कर सके ।

ऋण व्यवस्था वह ऋण है जो भारत स्थित बैंक द्वारा विदेशी बैंक, संस्थान तथा सरकार को प्रदान किया जाता है ताकि भारत से उसके विभिन्न सूचीबद्ध माल का विदेशों में आयात करने में सहायता मिल सके । विदेशों से कई आयातकर्ता एक ऋण व्यवस्था के अंतर्गत माल का आयात कर सकते हैं ।

>> खरीदार ऋण एवं ऋण व्यवस्था के अंतर्गत ईसीजीसी द्वारा किस प्रकार की रक्षा प्रदान की जा सकती है तथा संबद्ध शर्तें क्या हैं ?

ईसीजीसी ने ऋणदात्री बैंकों को अशोधन के कुछ जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएँ विकसित की हैं । ये सुरक्षा बैंक तथा ईसीजीसी के बीच एक करार के रूप में होती है तथा प्रत्येक मामले के आधार पर जारी की जाती है । ऋण की शर्तों तथा ऋण की अवधि लंबाई संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के लिए उसकी उचितता के अनुरूप होनी चाहिए । उधारकर्ता द्वारा की जानेवाली चुकौती के लिए पर्याप्त प्रतिभूति होनी चाहिए ।

ये सुरक्षा राजनीतिक जोखिम अथवा व्यापक जोखिम के लिए प्रदान की जा सकती है । इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राजनीतिक जोखिमों से रक्षा प्रदान की जाती है :

i) समुद्रपारीय पार्टी के देश तथा भारत के बीच युद्ध होने पर,

ii) समुद्रपारीय पार्टी के देश में युद्ध, बैर, गृहयुद्ध, क्रांति, विद्रोह, बगावत अथवा अन्य अशांति होने पर

३. कानून अथवा व्यवस्था के परिचालन, डिक्री अथवा विनियम जिसे कानून का समर्थन प्राप्त है तथा जो उन परिस्थितियों में ऋणदाता तथा / अथवा विदेशी पार्टी के नियंत्रण के बाहर हो, वित्तीय समझौते के अंतर्गत विदेशी पार्टी द्वारा ऋणदाता को देय राशियों के अंतरण को रोकती प्रतिबंधित अथवा नियंत्रित करती हो ।

यदि ईसीजीसी व्यापक जोखिम के लिए रखा प्रदान करने के लिए सहमत होता है वहॉं, ऋण करार के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करने में उधारकर्ता द्वारा दीर्घकालीन चूक के जोखिम तथा उधारकर्ता के दिवालिया होने, जो भी लागू हो, उपर उल्लिखित राजनीतिक जोखिमों के अतिरिक्त रक्षा प्रदान की जाएगी । व्यापक जोखिम रक्षा के लिए लागू प्रीमियम
दर, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक जोखिम रक्षा के लिए ली जाने वाली प्रीमियम दर से अधिक होगी । सामान्यतया ईसीजीसी ८५% तक की हानि को सुरक्षा प्रदान करता है ।

>> लागू प्रीमियम दर क्या हैं ?

प्रीमियम दरें, निर्यात किए जानेवाले देश व चुकौती की अवधि पर आधारित होती हैं ।

>> खरीदार ऋण व ऋण व्यवस्था के लिए रक्षा हेतु प्रीमियम कब अदा किया जाता है ?

कुल प्रीमियम राशि के कम से कम २०% राशि अग्रिम रूप में अदा की जानी चाहिए । प्रीमियम की शेष राशि का भुगतान, वितरित किए गए ऋण की राशि के अनुपात में तिमाही आधार पर किया जा सकता है ।

योजना पर और किसी स्पष्टीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें ।